



भारत का राजपत्र The Gazette of India

भारतनुं राजपत्र

असाधारण
EXTRAORDINARY
असाधारण

भाग-8 खण्ड-1
PART VIII Section 1
भाग 8 खण्ड-1
प्राधिकारसे प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
प्राधिकारधी प्रकाशित

सं. 2] नई दिल्ली शुक्रवार, 21 दिसम्बर, 1984 / 14, मार्गशीर्ष, 1906 (शक) [खण्ड-1
No. 2] NEW DELHI, FRIDAY, 21 DECEMBER, 1984/14, MARGSHIRSHA, 1906 (SAKA) [VOL-1
अंक 2] नवी दिल्ली, शुक्रवार, 21 डिसेम्बर, 1९८४/१४, मागशर, १९०६ (शक) [विल्युम-१]

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है, जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation.

आ भागने अलग पाना नंबर आपेव छे, लथी ते अलग संग्रह तरीके क्षर्यव करी शकस्ये।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1984 / 14 मार्गशीर्ष, 1906 (शक)

(1) दि गवर्न्मेंट मेनेजमेंट ओफ प्राईवेट एस्टेट एक्ट, 1892 (सन 1892 का 10), (2) दि ग्लेन्डर्स एन्ड फार्सी एक्ट, 1899 (सन 1899 का 13), (3) दि रजिस्ट्रेशन ओफ फोरेनर्स एक्ट, 1939 (सन 1939 का 16), (4) दि आर्बांट्रेशन (प्रोटोकाल एन्ड कन्वेन्शन) एक्ट, 1937 (सन 1937 का 6), और (5) दि एसेन्शियल कोमोडिटिस एक्ट, 1955 (सन 1955 का 10); के निम्नलिखित गुजराती अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किये जाते है और प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 (सन 1973 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अधीन ये गुजराती भाषामें उनके प्राधिकृत अनुवाद समझे जाएंगे।

भाग-८

(Price Rs. 5-00)

